367

न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–विदिशा निग 3060 I-16

बिमलाबाई पत्नी निहाल सिंह रघुवंशी, निवासी – कोठी चारकला, तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.)

— आवेदिका

विरूद्ध

1. मनीषा पत्नी मोहित समैया,
2. सारिका पत्नी रोहित समैया, निवासीगण – तारनतरण जैन पाठशाला ग्राउण्ड, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)
3. रतीबाई पत्नी मुंशीलाल रघुवंशी, निवासी बालराकला, तहसील गंज बासौदा, जिला विदिशा
4. रूकमनबाई पत्नी रूपसिंह रघुवंशी निवासी बरखेडा तहसील गंज बासौदा, जिला विदिशा
5. गायत्रीबाई पत्नी रामस्वरूप रघुवंशी, निवासी पथरई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा
6. ममताबाई पत्नी तोफानसिंह रघुवंशी निवासी मूडरा तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा

— अनावेदकगण

श्री ..... द्वारा आज दि. 07.9.16 को
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार, बासौदा के प्रकरण क्रमांक 101/ए–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील बसौदा द्वारा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही एवं आदेश पारित किया है वह अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3060-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	